[Mr. Deputy Speaker]

I am forgetting everything. I cannot even use a sentence fully. I really do not know how we carry on discussion in the House. Now I think after being in the House for the last 10 years, I must start going to school again and start learning things again.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You can start a tutorial home for teaching parliamentary practice to the Ministers.

MR DEPUTY-SPEAKER: They will not; but I can do my study privately and sit for the examination.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We will come and worry you there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume discussion on the demand of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Shri K. C. Pandey. He is not there. Shri Brij Raj Singh—Kotah.

12.40 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76 —*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—*Contd.*

SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH (Jhalawar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of great satisfaction that the Government has at last realised to give top priority to agriculture and irrigation.

43 per cent of Indian land is arable, 9 per cent is irrigated and we plan a growth of 5.5 per cent. That is our aim. The sector of agriculture produces 45 per cent of the gross National Product. Therefore, this is a very important subject that needs discussion.

We are still dependent on the vagaries of weather. So, it is most essential to expand irrigation potential. That is one thing. Secondly, we should make effective use of the present irrigation system. I have once previously also stated that we must explore alternative means of energy like solar energy and wind energy. I have not been to the exhibition which is out there. But I am told that there is a very useful device for heating water and other things by means of solar energy. This should be made available to most people of this country because we have a very fine climate with sun-shine for about 250 days in the year.

The other point is that we must have a lot of storages, cold storages and storages for foodgrains in the shape of silos.

Another point that I want to make is this. We import wheat when our reserve stock get depleted. The f.o.b. cost comes to about Rs. 130 per quintal. I suppose, the landed cost with freights included will be anything between Rs. 150 to Rs. 200 per quintal. Everything that the poor farmer of this country uses and needs for producing foodstuffs has gone up.

You are having now a system of procurement and of taking levy. We know how levy was taken last time. There were instances of police *zulum* and harassment by the authorities to the ordinary cultivator. The people who had not known anything about levy and who had sold their stocks earlier had to take recourse by force of circumstance to buying wheat from the open market at upto Rs. 200 a quintal to give the levy. Now, the procurement price has been put at Rs. 105.

I am told that the official statistics of Madhya Pradesh alone show that there is a 10 per cent decrease in the cultivation area of wheat. My estimate also is that definitely wheat acreage is less this year than what was last year. If this is the treatment to be given to our farmers, if this is the way price fixing is done, I do not see what is afoot for them? I believe,

the Government can at least fix the minimum price of procurement remuneratively and it should be Rs. 125 per quintal. When you import wheat from abroad which costs you Rs. 130 or Rs. 150 to even Rs. 200 a quintal, what is the rationale in not paying our own kith and kin Rs. 125 a quintal and make them happy and contented? I fail to see any reason for not doing so.

The Budget proposals have proposed a tax on livestock, dairy and poultry. I do not have anything to say about horse-raising or for the breeders who raise race hourses. That is a different matter. But so far as the dairy and poultry industries are concerned, it is a fluctuating trade. The so-called white revolution in milk is yet to be seen in this country. Even the green revolution is confined to north western States of the country.. It is not seen elsewhere. So, I plead and urge upon the Government that we must see that this diet of milk which is a complete diet, a nutritive diet, full of proteins, must be made more available to the people in this country. Instead of that, you are dampening it by this proposed taxation on dairy and poultry industries.

My other part of the speech will be confined to forests. Nobody seems to realise the great importance that forestry plays on this country's ecological balance. The statutory recommendations are that 33 per cent of the land area must be under forests; but in actual, it comes to 23 per cent and every year, we see with our own eyes that forests are continuously being cut mercilessly. The last example was when there was a flash flood somewhere in Kerala. The flood just came and washed away valuable land below. Something is happening in Rajasthan; something is happening to the Himalayan Valleys, the Kullu and Sutlej Valleys etc. There was a 'CHIPKO' movement in Almora. This creates the urgency for preserving our forests. Otherwise, we are going to get into very serious trouble in times to come.

For this, I have a suggestion. It should be possible for the Government to look into this matter, and I suggest the following:

(a) It will be very beneficial if we create a sort of a Conservation Crops which will employ the unemployed youth of the country, give them training for two or three weeks and put this task force under some energetic man who has vision.

(b) The works to be implemented by this Corps should be the works of canservation—whether it is digging trenches, making paths, planting trees, cutting roads in forest areas, small check dams, etc., etc.

If we do this, it will solve a lot of un-employment, it will give the young people something useful to do, and it will help conserve forest and make them grow up where they are sadly lacking today.

I will say something about the way our Tiger projects and national parks are working. What I saw last time at one of the national parks, the Corbet National Park—which is one of the Project Tiger parks—is that between Garjia and Dhaukati, between the river and the road, a section of about 10×4 mile or 3/4 mile area, which is just adjacent to the National Park, was cleared by the Forest Department for replanting commercial trees like Eucalyptus etc. I don't see why very good Sal forests should be ploughed up for commercial trees like Eucalyptus. But be that as it may. What has happened is that the area which was ploughed up for replanting has been occupied by squarters who have come from the hills and are sitting there today and there is pressure

[Shri Brij Raj Singh Kotah]

on the U.P. Government to allot them this land which at present is under forests. They can be given some land in the area below known as the Tarai Bhaber area.

This is but one instance of what is happening in every forest area. First comes the encroachment and then comes the regularisation. I don't know where this policy is going to take us? If you want to allot land to people, make up your mind what you are going to keep and what you don't wish to be tampered with. I would say that in wild life sanctuaries and national parks, if these forestry operations and land encroachments are not stopped, you will never achieve anything in the shape of what you wish. Nature must grow unhampered. Secondly, the laws which exist now—the game laws and the Wild Life Protection Act—are very good as far as they go on paper, but there is no enforcement whatsoever. The writ of the Department does not run beyond its offices. People come and poach; the country people are doing all sorts of illicit things and, naturally, when the habitat is disturbed, you cannot expect tigers or or other game animals to flourish. There are good parks like Ranthambore in Rajasthan and Bandipur and other places, but what about other places where there are no game parks and which are not under the Tiger Project? They are being seriously disturbed. We just heard the other day that whole herds of bison have been wiped out because of rinderpest caused by cattle that had been allowed to come and graze in the area

Admirable progress in this regard has been made in the Gir forest sanctuary in Gujarat. There, vision has prevailed, and they have ejected the Maldharis living inside the area; and today we fined that the lion population which was 167 two years ago has risen to 200. Even the Maldharis are happy that they have been taken out and given land outside, and there is no disturbance of the ecological balance in that area.

If there are no wild bears or deers, which are their natural prey, what will the lions or tigers eat? When you disturb the natural set-up, what happens is that they perforce start eating the cattle; they have to eat something; they cannot eat grass; and once they start eating cattle, they become cattle-lifters; and then for the people who are ready to shoot, the pretext of their being declared a menace to the villagers comes in very handy!

Therefore, these ideas of keeping our forests intact, keeping the game parks undisturbed, not allowing any forestry operations inside these parks, and seeing that nature is left untampered with are very essential if we wish to keep whatever is left out today. It is a very short-sighted policy that first we allow the jungles to be destroyed and then wake up and say that we must replant and bring these back to their old pristine position. I trust that the hon. Minister who is in charge of this department will very seriously look into these matters and devise very effective rules and regulations to the existing Acts on wild life.

There is the Indian Board on Wild Life I was inducted in it last August. The Board had met after a gap of two years, and now since the August meeting, the next meeting is going to be held on 21st April—after more than six months. The Board meets after two years and nothing really effective is done. All that is done is merely or paper. I am also on the Rajasthan Wild Life Board, and as far as my memory serves me, I do not think we have met for the last two or three years—definitely not for the last two years. If this is the way these Boards are to function, how can effective control be made? I

urge, that these Boards must meet more frequently than they have been doing so far, and whatever they say must be implemented. The last thing that I would say is that, if you can amend the Constitution and bring the forests under the Central List, then there is a hope in India for preserving our valuable forests. If you do not do that, then all our pious words and acts will achieve nothing.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri Jagjivan Ram is a lucky Minister, and whatever he touches, he adorns it. This year, after he has assumed charge of the Ministry of Agriculture and Irrigation, there have been winter rains and there have also been no strikes by the electricity engineers. Because of these two factors, there are propspects of a good rabi crop. But so far as the Ministry is concerned, I have my own doubts and reservations about its successful functioning. They have done nothing practically for bringing more area under irrigation. For the last four years, ever since I entered this Parliament, I have been crying hoarse, drawing the attention of the Ministry of Agriculture at the Centre and also in the State for boring tubewells in the district of Bahraich in Block Sarsea. The matter was treated like a shuttle-cock between the Central Government and the State Government—each throwing the responsibility for boring tubewells on the other. Then, by a question I got the matter clinched. The Minister of State in the Ministry of Agriculture, Shri Shahnawaz Khan, was good enough to answer to my question; he said that a number of heavy rigs belonging to the Central Government were available in U.P. But in spite of the availability of such heavy rigs, the drilling of tubewells has not been done in my district. I do not know, how much more time the Government would take to bore such tubewells. That area is very fertile and capable of raising bumper crops. But year after year, the green paddy fields dry up in the month of September and the Government rushes and starts test works. I want to know, what this planning is. The surface water is not utilised, it inundates fields resulting in heavy damage. I want that the Ministry should concentrate on this point and find out how much money is spent yearly on meeting the drought-situation in a particular area and how much money is allocated for giving relief on account of the floods in certain turbulent rivers. If we take into account the recurring grants of money on account of floods and famines, we will find that if all this money is utilised for creating permanent remedies, perhaps these things would not occur.

Rapti and Ghagra are the two turbulent rivers in the eastern part of Uttar Pradesh. Nothing has been done to tame the floods of these two rivers. Jalkundi Dam scheme was conceived about 20 years ago. The feasibility report was submitted, but this has been put in cold storage. So is the case with Ghagra river. No project for containing its floods has been thought of uptil now.

So far as the price of wheat is concerned, I shall be failing in my duty if I do not express the feelings of discontent among the peasantry, whether it belongs to the category of small cultivators or big cultivators. The levy price of Rs. 105.00 is quite inadequate, unremunerative and unrealistic. I want that the Minister should come with concrete facts and figures to convince this House that this is the cost which is incurred in raising the wheat crop per acre and per hectare and this is the profit which should be available to the cultivators after meeting the cost of raising the wheat crop.

The prices in the market would go down during the harvest season, as it always happens and the dealer in foodgrains would take advantage of that. He will say to the cultivator

[Shri B. R. Shukla]

that the Government itself has fixed the price at Rs 105.00, but he would give Rs. 15.00 more. After three-four months, when he has hoarded wheat in his stock, he will dictate the market and the consumer for which this scheme is being conceived. The consumer will not be in a better position than what he is at present. He will get wheat at Rs. 150 or Rs. 200 per quintal. The Government would be most reluctant to fix the maximum price at which the wheat should be sold by traders and retailers. I can concede, that if the consumer is going to get wheat at a cheaper and fixed rate, then certainly fix the price at Rs. 105.00 per quintal or even Rs. 100.00 per quintal.

Then, what is this Food Corporation of India? It is another addition to the class of white elephants. As one hon. Member has rightly said, until now, we had white elephant in the form of Railway Board, now we have another white elephant, this Corporation. This is the biggest swindler, the biggest profiteer in the country. They procure wheat at Rs. 105 and sell it at Rs. 135 or Rs. 138 through fair-price shops. The difference is Rs. 30 per quintal. Where does this go. Still, this white elephant is not satisfied.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): It includes freight. cost of the gunny bag and many other things. They make no profits.

14 hrs.

SHRI B. R. SHUKLA: You please calculate itemwise and give us the break-up and take the House into confidence that this is very necessary —so much for handling charges and so much for storage, etc., and that this Rs. 35 or Rs. 30 is necessary for the FCI sharks.

Sir, there is also the menace of rats in this country. Nobody has touched this point. The rat population is growing by leaps and bounds. According to one article published in the Daily *'Pioneer'* of Lucknow, the population of rats in this country is to the extent of 600 million and that six rats consume as much grain as is consumed by one human-being. That means that the rats in this country consume that much quantity of grains which could be available to 60 crores of people. I do not know whether to believe it or not. It is for the Ministry to find out whether the estimated figures are correct or not. But there is one thing. These rats have become very clever, not less clever than the human-beings They have refused to take insecticide-mixed flour. The result is that the moment these things are spread before them, they go away. They get the scent and shy away. Therefore, they are multiplying as far as or even faster than the human-beings So, the Agriculture Ministry has to take note of the menace posed by this fast-multiplying population of rats.

I would also draw the attention of the hon. Minister of Agriculture that in the district of Bahraich, a State Farm Corporation undertaking has been opened. The Uttar Pradesh Government has been good enough to grant a lease of 1200 acres for the purpose of starting a fishery farm and a seed multiplication farm. The area is situated in the vicinity of forests. The land is available. All my request is that there should be established a College of Agriculture and Forestry there. It would be just on the pattern of the Pant University at Nainital. The Government is not going to invest anything for the acquisition of land because the land belongs to the UP Government. The UP Government also would be very glad to have such an institution started there.

Therefore, my submission is after giving vent to my anguish and anger.

why is the Government not acceding to my repeated request for sending some heavy rigs for drilling tubewells in the Blocks of Sirsia and Jamnaha of my District? This is a very reasonable demand and I hope the hon. Minister will reconsider the matter and that he will simply not be guided by the notes prepared by his own Ministry.

Thank you, Mr. Deputy Speaker. for giving me an opportunity to put forth my point of view.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And you have done very effectively.

Shri Tarun Gogoi—not here.

Shri M. C. Daga—also not here.

Shri Gomango.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I am very happy that the Agriculture Ministry is the only Ministry which has done a lot for tribal development. Now I shall confine myself only to that problem because my friends have already expressed their views on the All-India question.

I am very happy to place before this House that the policy and programmes of the tribal development are the concern of the Ministry of Agriculture.

In the Fifth Five Year Plan Government will integrate all the tribal classes and plans and they will have integrated tribal development agencies. This is a sew idea.

The work was taken up in good faith and with a good ambition, but the allocation of funds was so low as compared to too many plans that we could not achieve the results as we wanted to achieve.

We are happy that only the Ministry of Agriculture has done very good thing for our tribals. In the Fourth Five Year Plan there were six pilot projects. Two are in my constituency. For the two projects I got Rs. 4 crores. No doubt, they sanctioned Rs. 2 crores for each of the projects, but they have not taken into consideration the number of blocks in each of the projects. In Kanta Project there are four blocks. In one project there are nine blocks and in the other there are 10 blocks. But each project will get only Rs. 2 crores. I submit before the Minister as well as before the Ministry that they may allocate more funds for the purpose.

Government of Orissa have not included the projects taken up by the Ministry of Agriculture in their IDTP scheme. They have done so because they say tribal projects are the responsibility of the Government of India and the tribal projects under Ministry of Agriculture are being financed by the Government of India. Sir, it is very unhealthy.

Allocation of money is made by the Centre or the State on the gound that it is a new project, and is covered under a special plan. Thus the Ministry in the Centre and the State Governments will earmark the money for the tribal blocks—the integrated projects blocks—by separate allocation I have the right to ask the Government of Orissa and the Government of India that there is a special allocation for the tribal areas under IDTP; then why should these projects be deprived of IDTP?

I would like to put before the House the problem of irrigation. How many areas are there under cultivation? This is the question. The sub-plan says that the major project will not be taken up in the sub-plan proposal. No tribal will be covered in the major project. In my constituency there are tribal population and it is a scheduled area. There is one major project which has not been included by the Government of Orissa for implementation in my district

[Shri Gridhar Gomango]

And, as I have already said, my district is a scheduled area which is having tribal population. This is having one percent of irrigation facilities. What I would request is that this project should be taken up immediately by the Central Government. I am happy that they have given it clearance. I do not know whether the Government of Orissa has earmarked any funds for this. According to the provisions of the sub-plan they cannot divert the funds. Why cannot the Ministry of Irrigation and Power earmark funds for sectoral allocation under irrigation and tribal welfare? Let there be at least some token allocation of at least one rupee in each year of the plan. Agriculture and Irrigation is the primary responsibility of the Central Government. This is necessary for the development of the country as a whole and for the development of the tribal people. So, I request him to consider my request. This project should get priority in the tribal sub-plan.

There is one other point which I wish to refer to and this is regarding the forest policy. Only 70 million hectares of forest area is there in our country. And the tribal population are deprived of the benefit of the forest policy. They are deprived of the utilisation of forests and due to land distribution and transfer of land etc from the tribals to the non-tribals these tribal people are put to lot of difficulties. There are certain legislations which have been enacted. What I would like to submit is that this matter has to be taken up with the State Governments by the Central Government. You, know, Sir, there is land hunger among the tribals of this country. What I suggest is that Government should come forward with immediate land reform measures. The Central Government should write to the State Governments drawing their attention to the immediate necessity of having land reforms. State Governments should be asked to legislate such land reforms so that the tribal people and the landless people will get the land.

For future planning I would submit this. Agriculture and Irrigation should go side by side with the land reforms. Medium and minor irrigation are taken up only in the areas where there are irrigation facilities and where there are no irrigation facilities they are not taken up.

Lastly, I request the Minister to consider the points raised by me sympathetically. Coming to the diversion of money, I want to say that it should not be allowed any more. The programme of tribal development has not been implemented in a quicker manner. Moreover, the aim which was supposed to have been achieved has not been achieved at all so far as programmes of tribal development are concerned

At the end, I repeat that Government should take note of this that the money that has been earmarked for development of agriculture should not be diverted to any other purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Narsingh Narain Pandey. He is not here. Shri Sukh Dev Prasad. He is now a Minister, I think, in Bihar.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur): He has been sworn in to-day.

MR DEPUTY-SPEAKER: I do not know whether that was a promotion or demotion.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA: I think it is neither of the two.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it a bed of nails or a crown of thorns?

Shri Sadhu Ram.

श्री साधू राम (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करने के लिए

खड़ा हुआ हूं । बात यह है कि इस वक्त एग्रीकल्चर के बारे मे किसानों को बहुत सी तकलीफें हैं, जो शायद गवर्नमेंट के ध्यान मे भी हों, लेकिन उनका हल नही हो रहा है । पंजाब मे ग्रीन रेवेल्यूशन हुआ, लोगों ने बहुत मेहनत की और काफी जोर से अनाज की पैदावार करते हैं । हरियाणा और पंजाब दोनो स्टेटो मे अनाज की काफी पैदावार है । लेकिन फिर भी दूसरी स्टेटो से जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि अनकल्टिवेटेड जमीन जो काश्त मे नही आती है, वह देश भर मे बहुत काफी है । इसका मतलब यह हुआ कि लैण्डलैस मे जमीन तक्सीम नही हुई । अगर यह जमीन लैंडलेस मे तक्सीम कर दी जाय तो मेरा ख्याल है कि देश का बहुत बडा मसला हल हो जायगा । सीलिंग का कानून लागू होने के बाद भी वह जमीन तकसीम नही हुई और लैंडलैस और गरीबो को वह जमीन नही मिल सकी । श्री बिनोबा भावे ने कहा था — रात अन्धेरी कटके रहेगी धन और धरती बट के रहेगी ।" लेकिन न धन बटा और न धरती बटी । आजाद होने के बाद लोगों के अन्दर यह विश्वास था कि उन बातो पर अमल होगा, लेकिन उनमें बहुत कमिया हैं, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इस बात से इन्कार नही किया जा सकता ।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहलाता है लेकिन भीख मागने है दूसरे देशो मे, अनाज की हमारे पास कमी है । अनाज की कमी के कारण का समझना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगो की जिम्मेदारी नही है । किसान की पैदावार गन्दुम है—लेकिन गन्दुम का भाव 105 रुपये मुकर्रर किया गया है । अगर सही तौर पर देखा जाय—वह रात दिन खेतो पर मेहनत करता है, पैसा लगाता है, दुनिया के सारे कामों से यह मुश्किल काम है, सर्दी, गर्मी और बरसात मे लगा रहता है, जो पैदावार करता है, उसकी कीमत सरकार निर्धारित करती है, मेरी समझ मे नही आता कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने इतनी कम कीमत किस तरह से निर्धारित कर दी ।

हम इस पर नुक्ताचीनी नही करते, इसलिये कि यह गवर्नमेट का काम है और गवर्नमेट मे हम भी हिस्सेदार हैं, लेकिन मुझे अफसोस यह है कि वहा कोई सुनवाई नही होती । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को इस बात का भी खयाल नही आया कि किसान किस तरह से गन्दुम को पैदा करता है, बिना सोचे समझे 105 रुपये भाव मुकर्रर कर दिया । 125 रुपये से कम तो किसान को किसी तरह से भी पडता नही आता है । किसान इस वक्त बडा दुखी है । देश भर में हाहाकार मचा हुआ है । लोगों को हम जवाब नही दे पाते कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट उनके भलाई के लिये कुछ उचित दाम तय करेगी या नही । यहा किसी के कान पर जू नही रेंगती । सभी माननीय सदस्य यही कह रहे हैं कि गेहू का दाम 125 रुपये क्विंटल होना चाहिये लेकिन फिर भी सरकार इसको नही मानती ।

गन्ने की मिनिमम कीमत आप ने साढे 8 रु० क्विंटल रखी है और लकडी का भाव 15 रु० क्विटल है । यानी लकडी से भी सस्ता गन्ना है । मिल मालिको को छूट दे रखी है कि चीनी बना कर 35 परसेंट ओपिन मार्केट मे बेचे । लोगों को लूट ले । उस चीनी का भाव बाजार मे कभी 7 रु० और कभी 8 रु० हो जाता है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : गन्ने की कीमत भी तो 14 50 रु० देते है ।

श्री साधू राम मुख्तलिफ सूबो मे मुख्तलिफ रेट हैं । लेकिन सरकार को कीमत निर्धारित करने के समय ध्यान देना चाहिये । जब और चीजो की कीमत निर्धारित करने मे सरकार का कोई हिस्सा नही है, फिर किसान की पैदावार का दाम आप क्यो

[श्री साधू राम]

मुकर्रर करते हैं ? दरमियान में जो मिल मालिक बैठे हुए हैं वह सारा का सारा मुनाफा खा जाते हैं। इस नाइंसाफ़ी से तकलीफ़ होती है कि मामला क्या है ? सरकार का यह तरीका होना चाहिये कि सरकार अपनी लैवी भी ले, लेकिन किसान को भी कुछ मुनाफा बचना चाहिये। अगर किसान को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा तो वह क्यों अनाज पैदा करने में मेहनत करेगा। मुनाफाखोरी और चोर बाजारी लोग आराम से एयर कन्डीशण्ड कमरों में बैठ कर करते हैं, लेकिन मेहनती आदमी की कोई कद्र नहीं। उस की कीमत हर साल, हर चीज की, कम कर दी जाती है।

कभी सरकार ने सोचा कि खेती में काम आने वाले जो बिजली, खाद वगैरह हैं उन का क्या रेट है। बिजली का, पानी का क्या रेट है ? मैं पंजाब की बात बताता हूं कि पहले बिजली के मोटर की हार्स पावर के हिसाब से पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दाम तय किया था। जहां पहले 10 हार्स पावर मोटर से जो सिंचाई का पानी किसान को मिलता था और 100 रु० उस को देना पड़ता था आज उस का रेट 150 रु० हो गया है। फ़र्टिलाइजर की कीमत दुगनी कर दी गई—52 रु० से 110 रु० तक ले गये। ट्रैक्टर की कीमत हर साल बढ़ जाती है 4, 5 हजार रु०। तो क्या इस से महसूस नहीं होता है कि सरकार की तरफ़ से मोनोपलिस्टो को पाला जा रहा है ? और उन की कीमत बढ़ाने में सरकार हिचकती नहीं है। लेकिन किसान द्वारा पैदा किये हुए माल की कीमत बढ़ाने मे सरकार हिचकिचाहट करती है। यह बात सही है कि देश में कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है। आप सबसिडाइज कर के गरीब लोगों को अनाज दीजिये। एक हल और है कि सारे देश के अनाज का जो एस्टीमेट बनता है और अगर वह देश के लोगों के खाने के लिये कम है, बाहर से इम्पोर्ट करना है तो पूरा अंदाजा क्यों नहीं लगाते कि इतना अनाज चाहिए। मिसाल के तौर पर कोआपरेटिव स्टोर्स बना दीजिये जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में 22 लाख आदमी काम करते हैं तो रेलवे विभाग इतने लोगों के खाने पीने का सामान रेलवे स्टोर्स मे दे, वहीं से उन को कपड़ा भी मिले और उस का पैसा लोगों की तनख्वाह से काट लिया जाय। इसी तरह से मिल मालिको को आर्डर दिया जाय कि मिलों में जो काम करने वाले लेबर हैं उन का भी रेलवे कर्मचारियो की तरह कार्ड बन जाय और स्टोर मे उन की सब चीजें मिल जायें। ऐसा करने से महंगाई का जो शोर मचता है, स्ट्राइक होती है वह कम से कम एक साल बन्द रहेगी। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कभी इस बात को नहीं सोचा। मेरे ख्याल से सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

अनाज की तकसीम का जो सिस्टम है वह बड़ा ग़लत है। चाहे सीमेंट हो या और चीजें हों वह गरीबों को नहीं मिलती है, बड़े आदमियों को मिल जाती हैं। मिल मालिकों को अनाज दे दिया जाता है आटा पीसने के लिये जिस को पीस कर वह आटे मे मिलावट करते हैं। सरकार को ऐसे लोगो को पकड़ कर बंद करना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कर यह लगता है कि मिल वालो को पालना ही सरकार का धर्म हो गया है। ऐसी मिलो को जो मिलावट करती है बन्द कर देना चाहिए। वह मिल मालिक और कोई दूसरा धंधा कर लेंगे क्यों कि उन के पास पैसा है।

इसी तरह से चीनी मिल वालो को छूट है कि 35 परसेंट चीनी वह किसी भाव पर ओपिन मार्किट में बेचें, ब्लैक मार्किट में खाह आप चाहे किसी भाव में बेचें किसान को खांड नहीं मिलती, लेकिन ब्लैक मार्केट में मिल जाती है। सीमेंट का भी यही हाल है, ब्लैक मार्केट में चाहे जितना सीमेंट आप ले लें। लेकिन वैसे किसानों को नहीं मिलता। जो छूट आप ने चीनी मिल मालिकों को दे रखी है कि 35 परसेंट ओपिन मार्किट में बेच दें, वह छूट

उन को न मिल कर किसानो को मिलनी चाहिए कि वह अपनी खांड बना कर फायदा उठायें।

इसी तरह खेत मजदूरो के लिए वेजेज मुकर्रर करनी चाहिए। इस देश मे 4, 5 करोड मजदूर हैं उन के लिए सरकार ने कभी वेजेज मुकर्रर नही की। हर सूबे मे आम तौर से शिकायत मिलती है कि खेतो मे काम करने वाले लोगो को बडे जमींदार तंग करते हैं उन को उचित मजदूरी नही देते हैं। और जो देते भी है उस से उन का गुजारा नही चलता है। अगर वह बेचारे इतने कम पैसे पर काम करने मे इकार करते हैं तो उन का सोशल बायकाट किया जाता है।

ट्रैक्टर के बारे मे देखिए कि पहले जो लोग इग्लैण्ड से पजाब मे ट्रैक्टर लाना चाहते थे गिफ्ट के तौर पर वह ला सकते थे। लेकिन अब उस को भी बन्द कर दिया। क्यो? क्योंकि यहा के मोनोपलिस्टो को घाटा पड जायेगा। हालाकि उस से फौरन एक्सचेंज का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। 1971 मे जब प्रधान मन्त्री इग्लैण्ड गई थी, तो मैं भी उस समय गया था, वहा लोगो ने प्रधान मन्त्री से कहा कि हम फौरन ऐक्सचेज नही पै करेंगे, हम को ट्रैक्टर ले जाने की छूट होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उस को बन्द कर दिया है क्योंकि मानोपलिस्टो को नुकसान होता है।

सिंचाई के पानी के साधन बढ़ाने के लिए पजाब ने थिन डैम के बारे मे कोशिश की, कई दफा हम डा० के० एल० राव से डेपूटेशन ले कर मिले और अब भी पंजाब सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने झगड़ा डाल रखा है कि चीफ मिनिस्टर ही फैसला करेंगे, पानी का बंटवारा करेंगे। पंजाब सरकार ने कहा कि पानी बाद मे तक्सीम कर देना, हम लिख कर देते है, लेकिन थिन डैम का फैसला कर दो। आज वह सारा का सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक फैसला नही कर पायी है कि थीन डैम बनाया जाय कि नही बनाया जाय। मैं चाहूगा कि इस बारे मे फौरन फैसला करना चाहिये जिस से वह पानी जो बेकार पाकिस्तान को जा रहा है, वह अपने देश की खेती के काम आ सके।

अन्त से मैं फिर कहना चाहूगा कि जो बाते मैंने कही हैं उन पर ध्यान दिया जाय और किसान की पैदावार की सही कीमत 125 रुपया प्रति क्विटल उस को मिलनी चाहिए।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि मत्रालय एक बहुत बड़ा मत्रालय है जिस के अन्दर सब लोगो को खाने के लिए प्रबन्ध करने के लिए कुछ स्कीमे वगैरह बनती हैं। इस सदन मे इस बारे मे बहुत चर्चा हुई है। मैं खास तौर से थोडी सी बात मिनिस्टर साहब के सामने कहना चाहता हू उड़ीसा के बारे में।

उड़ीसा मे दो-तिहाई एरिया सूखा पडा हुआ है सिवाय कोस्टल एरिया को छोड़ कर। कोरापुट, फुलबानी, म्योरभज और सुन्दरगढ, जितना ट्राइबल एरिया है, वहा सूखा पडा हुआ है। वहा पर कोई ऐसा काम नही होता है जिससे ग़रीब लोगो को काम मिले, उनको रोजी मिले जिससे वे अपना गुजर बसर कर सकें। आप जानते हैं कि उड़ीसा मे स्थिति यह है कि वहां पर जमीन काफ़ी है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो पैसे की कमी है। जितने पैसे की उड़ीसा को जरूरत है, उतना पैसा उसको नही दिया जाता है। हमारा कहना यह है कि वहा के लिए आपको पैसा देना चाहिए जिससे माइनर इरीगेशन हो, मेजर इरीगेशन हो और दूसरे छोटे छोटे प्रोजैक्ट्स पूरे हो। इस समय तो पैसा न होने के कारण वे नही हो पाते हैं और

[श्री अनादि चरण दास]

केन्द्र सरकार हमारी तरफ़ देखती नही है । उड़ीसा में जितने काम केन्द्र की तरफ़ से हो रहे हैं वे अधूरे पड़े हैं । आप का ध्यान इस तरफ़ जाना चाहिए ।

सिमिगुड़ा में एक जर्सी फार्म सरकार ने मजूर किया है और उसके लिए एक करोड़ 5 लाख रुपया मजूर हुआ है । मैं वहा पर गया था । वहा पर मैंने देखा कि एक डाइरेक्टर को आपने वहा पर बैठा दिया है और वह 5 हजार एकड जमीन पर कब्जा किये हुए बैठा है और उस जमीन मे कुछ भी नही होता है । वहा पर अभी तक घर नही बन पाए है जिससे जर्सी फार्म का काम शुरू हो पाता । वह जो जमीन है. उसमे पैदावार हो सकती थी लेकिन अभी वह बेकार पडी हुई है । यह प्रोजैक्ट फारेन कोलाबेशन से होने वाली थी लेकिन यह काम क्यो नही हो पाता । इसका कारण यह है कि वहा पर सी० पी० डब्ल्यू० डी० और उडीसा सरकार के बीच मे झगडा रहना है जिसकी वजह से घर नही बन पाते और जब घर नही बने तो जर्सी का यह फार्म शुरू नही होगा ।

इसके बाद मै यह कहना चाहता हू कि स्योरगज मे एक ड्राई फार्म की स्कीम है । उसके लिए आपने जितना पैसा रखा था, वह खर्च नही हो पाता । मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हू । सम्बलपुर जिले मे लक्ष्मीपानी मे सेन्टर की तरफ से एक सीड फार्म बनने वाला था और इसके लिए गवर्नमेंट ने 20 हजार एकड जमीन रखी थी लेकिन वह जमीन ऐसे ही पडी है और वहा परसीड फार्म नहीं बन पाता । इस तरह से जो भी प्रोजैक्ट्स आप उड़ीसा के लिए देते है, वे अधूरे पडे है क्योंकि आप पैसा नही देते हैं और कुछ काम नहीं हो पाता है । अगर यह फार्म बन जाता तो वहां पर उत्पादन बढ़ने वाला था । इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप प्रोजैक्ट्स बनाते हैं तो उनमे कुछ काम तो होना चाहिए लेकिन काम नहीं हो पाता और इससे देश के अन्दर उत्पादन नही बढ़ पाता ।

इस मिनिस्ट्री ने वीकर सेक्शन्स के लिए कुछ प्रोजैक्ट्स रखे हैं जैसे कि मार्जीनल फारमर्स एग्रीकल्चरल लेबर डेवलपमेंट एजेन्सी, स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेन्सी, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या ह्वोल विलेज डेवलपमेंट स्कीम । ये सब आपने वीकर सेक्शन्स के लिए बनाई है लेकिन सचमुच में उनको इन प्रोजेक्ट्स और स्कीमों से कोई फ़ायदा नही पहुचता है । अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि कोरापुट में आपने एक टी० डी० एजेन्सी मजूर की है । पाच साल के अन्दर इस पर दो करोड रुपया खर्च करने का आपने प्रबन्ध रखा है । एक साल पहले मैं कोरापुट गया था । वहां पर कलक्टर ने मुझे बताया कि शराब की बिक्री से 65 लाख रुपये की सालाना आमदनी है । वहा पर 80 परसेन्ट आदिवासी रहते है और 12 ब्लाक्स मे से 3 टी० डी० ब्लाक है, जिन की आबादी 22 लाख है । इस 22 लाख की पापुलेशन मे आदिवासियो के कुल 20 लडके ग्रेजुएट हैं । इतना आपने पैसा खर्च किया और इसका क्या फायदा आदिवासियों को मिला । मै आपको बताऊ कि मैंने खुद यह देखा है कि वहां पर बडे बडे काश्तकार, बडे बडे फार्म वाले जो भी सहूलियते सरकार की तरफ से दी जाती है चाहे वे गाय के लिए हों चाहे बैल के लिए हों चाहे वे मुर्गियों के लिए हो और चाहे खाद के लिए वे आदिवासियों से दस्तखत करा लेते हैं और उन सहूलियतों को ले लेते है । इस चीज को कोई देखने वाला नही है । वहां जो हालत मैंने 20 साल पहले देखी थी, वही आज भी दिखाई देती है । जो भी पैसा सरकार उनके लिए खर्च करती है, उसका फ़ायदा सचमुच में उनको नही मिलता है और उनकी इन्कम नहीं बढ़ पाती है । तो फिर यह पैसा कहां जाता है । यह जो शराब बेची जाती है, उसमें सारा पैसा चला जाता है । मैंने तो यह हिसाब लगाया

है कि पांच साल के अन्दर सरकार लोगों को शराब बेच कर 3 करोड़ 65 लाख रुपया ले लेती है और सिर्फ 2 करोड़ रुपया ही उन पर खर्च करती है। इस तरह से कैसे उनका फ़ायदा पहुंचेगा। मैं यह कहना चाहता हू कि अगर आप आदिवासी इलाकों को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस शराब को बन्द करना चाहिए ताकि उनका एक्स-प्लायटेशन बन्द हो और उनकी अर्थ-व्यवस्था ठीक हो। एक तो वहा शराब बेची जाती है और दूसरी तरफ आप नये नये प्रोग्राम बनाते है और जो पैसा उनका मिलता है, वह शराब वाले ले जाते है। आप वहा पर शराब का बिकना बन्द कीजिए और उन लोगो को अपनी शराब बनाने की इजाजत दीजिए। इससे उन का पैसा बाहर नही जाएगा। एक जिले मे 65 लाख रुपया सरकार को माल मे मिल जाता है जिससे उनको कोई फायदा नही होता है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) जरा मिनिस्टर साहब ध्यान दे। ये चाहते है कि वहा के लोगो को घर पर शराब निकालने की इजाजत दी जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Thank you very much.

श्री अनादि चरण दास : इसके बाद मै यह कहना चाहता हूं कि आप ग़रीब काश्तकारो, हरिजनो, आदिवासियो और कृषि मजदूरों के लिए कुछ ऐसी स्कीमे बनाए, जिससे उनको फायदा हो और उनको ज्यादा पैसे मिल सके। इस वक्त आप जितना करते हैं उसका फायदा दूसरे लोग उठा ले जाते हैं। ये दूसरे रास्ते आप को बन्द करने होगे।

कुछ ट्राइबल एरियाज, पिछड़े इलाको और हिल एरियाज के लिए जो आपने नई स्कीमें बनाई हैं जैसे कि पाइलट प्रोजैक्ट्स है या मार्जीनल फारमर्स एग्रीकल्चरल लेबर डेवलप-मेंट एजेन्सीज या ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट स्कीमे हैं, इनसे अगर आप सारे ट्राइबल एरिया को कवर कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर पाच, छ साल के अन्दर काफी उत्पादन बढ़ जाएगा और वहा की एकोनामी भी अच्छी हो जाएगी। पूरे आदिवासी इलाके के लिए आप प्रोग्राम बनाइए। इसी तरह से हरिजन इलाको के लिए, जहा पर हरिजन ज्यादा कन्सेंट्रेटेड हैं, जहा पर उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि इन लोगो को भी कुछ फ़ायदा मिले। जैसे आपने टी० डी० एस० वगैरह के कुछ प्रोग्राम बनाए हैं वैसे ही आप हरिजनो के लिए बनाइए ताकि उनको जमीन मिले, घर मिले, गाय बैल मिले और रोजी मिले। अगर ऐसा होगा तो उनका आर्थिक उत्थान होगा। और वे लोग भी तरक्की कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस कृषि मंत्रालय की मागों का समर्थन करता हू।

श्री पन्ना लाल बारूपाल (गंगानगर): मैं कृषि और सिंचाई मन्त्रालय की मागो का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू। मुझे खुशी है और मेरी मान्यता भी है और मेरी ही नही बल्कि राष्ट्र के नब्बे प्रतिशत लोगो की यह मान्यता है कि बाबू जगजीवन राम कर्त्तव्य निष्ठ व्यक्ति है, कुशल प्रशासक हैं और साथ ही साथ भाग्यशाली व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि जितनी धनराशि इर्रीगेशन और कृषि के सम्बन्ध मे इस मन्त्रालय द्वारा मागी जाती है उतनी राशि वित्त मंत्रालय इनको नही देता है और न ही उसने दी है। इसलिए केवल भाषणो और आश्वासनो से काम होने वाला नही है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस मन्त्रालय को अधिक से अधिक धन दिया जाए, इस मन्त्रालय की मागों को पूरा किया जाए।

डाक्टरों ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं बहुत कम बोलू। इस वास्ते मैं बहुत कम बोलूगा।

[श्री पन्ना लाल बारुपाल]

मेरे से पहले हमारे साथी श्री दरबारा सिंह, श्री नाथू राम मिर्धा, डा० के० एल० राव आदि ने जो सुझाव दिए हैं वे बड़े ठोस सुझाव थे और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा नाम भी आप उनके साथ जोड़ लीजिये क्योंकि मैं उन बातों को दोहराऊंगा नही ।

सरकार की नीति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूगा ।

काम परे कुछ और है

काम सरे कुछ और

किसानों का गल्ला खरीदने का काम और है और बेचने का भाव और है । बाजरा हमारा 62 रुपये क्विंटल से लिया गया था और वही बाजरा हम को डेढ सौ रुपये क्विंटल के भाव पर दिया गया । डेढ सौ रुपये क्विंटल गेहूं का भाव दिया और वही हम को ढाई सौ रुपये क्विंटल मिला बाजार में । इस वर्ष आपने 105 रुपये गेहूं का भाव तय किया है । यह सही बात है । लेकिन गगा नगर जिले मे 150 और 160 रुपये है । हमारे साथ पंजाब की सीमा लगती है । मेरी कान्स्टीट्यूएंसी पंजाब वालों के साथ मिलती है । अब पंजाब के अन्दर 115 रुपये का भाव है और हमारे जिले में 150 रुपये का भाव है । अब इसको दुर्भाग्य न कहा जाए तो और क्या कहा जाए । जहां आप किसानो से अनाज लेते हैं वहा आप उनको डीजल भी दे, ट्रैक्टर भी दे, खेती के औजार भी दे, बीज भी दें । लेकिन ये चीजें तो उनको मिलती नही हैं और आप उनसे उनका उत्पादन लेना चाहते हैं । मेरी प्रार्थना है कि इन चीजों को उपलब्ध करने की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये ।

सर्वप्रथम राजस्थान नहर के काम को आप युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश करें राजस्थान के अन्दर लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उसमें लाखों टन अनाज की उपज हो सकती है । हम अमरीका आदि देशों से अनाज मगाते हैं । यदि राजस्थान नहर को पूरा कर दिया जाए तो मेरी मान्यता है कि हम अनाज बाहर भेज सकते हैं । इसलिए आप राजस्थान नहर को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

सूरतगढ जिले मे गांव हैं किशनपुरा, बडोपल, कानारे, ठिठासर, मानकथेड़ी, रगमहल और मोजेवाला जिनकी बीस हजार एकड जमीन जलमग्न है और सात वर्षों से उसमे पैदावार नही हो रही है । सोलह एकड़ के अन्दर अगर एक किसान पांच हजार रुपये पैदा करता है तो इसका अर्थ हुआ कि एक किसान को पैंतीस हजार रुपये का लाभ होता है । सरकार ने उनको जमीन के बदले जमीन नही दी है जोकि जल्दी ही दी जानी चाहिये । दूसरी बात यह है कि मत्स्य विभाग और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिले हुए हैं और जो वहा पर मछलिया पैदा होती हैं उनको ठेकेदारो को बेच देते हैं । जमीन किसानो की डूबी हुई है, फसल उनकी नष्ट हुई है और अब अगर वहा मछलिया पकडी जाती हैं तो उनके हकदार ये किसान ही तो है । मछलियों की पैदावार किसानो को मिलनी चाहिये । इनके पैसे किसानो को मिलने चाहिये । मैं चाहता हू कि मौके पर जाकर आप वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें या अपने अधिकारियो को भेज कर अध्ययन करवाए । जिस तरह से बम्बई के अन्दर एक तरफ बडी बडी बिल्डिंग्ज हैं मैरीन ड्राइव है और दूसरी तरफ समुद्र है उसी तरह से राजस्थान के अन्दर बीस हजार एकड़ जमीन मे आपको समुद्र का दृश्य नजर आएगा जिसमें पचास फीट से लेकर साठ फीट तक पानी है । मैं चाहता हू कि यहां के किसानो को आप न्याय दिलाए ।

हमारे राजस्थान में राजस्थान राइस फ्लोर एसोसिएशन है । वहा पर धान में से चावल निकाला जाता है । चावल पर आप लेवी लगाना चाहें तो लगा कर चावल आप ले सकते हैं लेकिन आप तो धान ले रहे हैं । अगर आप चावल के बदले धान लेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि सारी वे मिलें बन्द हो

जाएंगी, सैकड़ों, हजारों मजदूर बेकार हो जाएंगे, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। आपको चावल से मतलब है, धान से नही। फूड कारपोरेशन की जो इस सम्बन्ध में नीति है उसको आप बदलें। इसके सम्बन्ध में मैंने बाबूजी को एक पत्र भी लिखा है।

हमारे इलाके में सूखा पडा हुआ है। राजस्थान के 26 जिलों में से 23 मे सूखा पडा हुआ है। वहा की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग भूखो मर रहे है। अनाज वहा मिलता नही है। माइलो मिलता है जिस को गधे भी नही खाते है। जिस मात्रा में पाच छ किलो यह दिया जाता है उसमें पूरा भी नही पडता है। न बाजरा, न ज्वार और न गेहू मिलता है। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

जब स्टेट्स का एकीकरण किया गया था तब सरदार पटेल ने आश्वासन दिया था किसी भी स्टेट के महत्व को खत्म नही किया जाएगा। मैं गगानगर से आता हू बीकानेर की एक स्टेट साथ में लगती है। गगानगर मे गेहू पैदा होता है। लेकिन बीकानेर वाले उसको ले जा नही सकते है। यह जो प्रतिबन्ध है इसको हटाया जाना चाहिये। मेहरबानी करके अनाज के आने जाने पर वहा प्रतिबन्ध हटाए।

वर्षा अमूमन जैसलमेर और बीकानेर में छ सात इच से अधिक नही होती है। भूतपूर्व महाराजा बीकानेर ने, वहा के नरेश ने बंधे बनाए थे, नहरे बनवाई थी। नहरो के द्वारा पानी को टैंको के अन्दर डाला जाता है। कुछ उस पानी से खेती होती थी। आज उन बधो की देखभाल नही होती है। शायद इसलिए नही की जाती है कि राजाओ द्वारा ये बनाए गए थे और शायद ईर्ष्यावश ऐसा होता है या इस कारण से होता है कि उसका श्रेय नही मिल सकता है। राजा महाराजा तो खत्म हो गए। सारा देश और सारी प्रजा अब हमारी है। तहसील भी कोलायत है जो बीकानेर डिवीजन के अन्दर है कई बांध हैं उनको नया बनाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, नहरो की मरम्मत की जाए।

खाद का कारखाना आपके हाथ में नही है। 24 साल से मैं मैं इसकी मांग करता आ रहा हू। औद्योगिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत पिछडा हुआ है। उसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया गया है। हिसाब लगा कर बना दिया जाता है कि तुम्हारे यहा भाखडा नहर है, गग नहर है, राजस्थान नहर है। ये तो प्रकृति की देन है। वह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है। लेकिन आप देखे कि बीकानेर डिवीजन पिछडा हुआ है। पिछडा हुआ होते हुए भी उसको पिछडा हुआ घोषित नही किया गया है। आप राज्य सरकार पर दबाव डाले कि वह उसको पिछडा हुआ घोषित करे।

जमीन देने के बारे मे बहुत लम्बे चौडे आकडे निकाले जाते हैं। सीलिंग का जब कानून बनाया गया था तब कहा गया था कि जो जमीन निकलेगी उसको हम हरिजनो को देगे। काग्रेस सरकार ने कहा था कि हम आपको ऊचा उठाएगे। यह सुन कर बडी खुशी भी हुई थी। लेकिन हुआ क्या है ? या तो हमें जमीन दी ही नही गई है, दी भी गई है तो वह दी गई है जो विवादग्रस्त है और जिनके हाथ मे वह है वे लठ और बन्दूक लिये खडे रहते है या फिर टिबो पर दी गई है। इस तरह से तो बहुत ऊचा आपने हमको चढा दिया है लेकिन उसका कोई लाभ नही हुआ है।

मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैंने जो सुझाव दिए है मैं आशा करता हू कि उनको अमल में लाने का कृषि मन्त्रालय प्रयत्न करेगा।

अन्त मे मैं एक पत्र भी मन्त्री महोदय को देता हू और उनसे प्रार्थना करता हू कि उसमें जो बाते हैं उनको वह जाच करवाए।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी मांगो का समर्थन करता हू और जो कुछ बाते मैं कहने जा रहा

[श्री सी० वी० गौतम]

हूं, हालांकि उनका ज्यादातर सम्बन्ध राज्य सरकार से है परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह सब बातें पूरी कराने के लिए उनको मजबूर करना चाहिये।

हम देख रहे है कि 2. 3 साल से अकाल और सूखा पड़ रहा है, लेकिन इस साल 1974 में उससे धान की फसल बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई है। कही कही तो उगाया हुआ बाज निकला ही नही। लोगो की हालत बहुत ही खराब है। मेरा क्षेत्र बालाघाट है जो कि मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ का भी वही हाल है। दोनो क्षेत्रो में सूखा है और जहा जहा धान की फसल थी सब जगह सूखा है।

इस तरह का जो अकाल पड रहा है, इससे लोगो को खाने को नही मिल रहा है। किसानो को तो यह भुगतना पड ही रहा है लेकिन उनके साथ-साथ पूरी जनसख्या को भी यह भुगतना पड रहा है। कम-से-कम इससे तो गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिये। सिचाई की छोटी और बडी योजनाए जो उसने हाथ में ली हैं या लेने का निर्णय किया है वह पूरी करनी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक सीवं कसा योजना है जो मध्य प्रदेश और महा राष्ट्र के बीच में बाउण्ड्री पर है। उस योजना का अभी कोई ठिकाना नही है। अगर यह योजना कामयाब हो जाये तो कम-से-कम 30–35 हजार एकड जमीन की सिचाई हो सकेगी और जो हर वक्त वहा अकाल पडता है, वह नही पडेगा।

वैसे ही अपर वैन गगा स्कीम है। यह कई बरसों से योजना मजूर की गई है पर वह भी चालू नही की गई है। अगर यह योजना कार्यान्वित हो जायेगी तो कम-से-कम दो लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

इसी तरह से बहुत सी योजनाएं है जो कि कार्यान्वित नही हो रही हैं और, यह तो बड़ी योजनाएं हैं जिनमें लाखों करोड़ों का सवाल आ जाता है। छोटी योजनाएं जिनका स्टेट से सम्बन्ध है, परन्तु केन्द्र उनको कराने के लिये स्टेट को मजबूर कर सकता है, वह यह है कि जैसे ग्राम में पानी पहुंचता है बिल्कुल सड़को में से या गलियों में से पानी आता है वह बडा अच्छा रासायनिक पानी होता है। उससे फसल बड़ी अच्छी होती है लेकिन वह बेकार जाता है। पुराने जमाने में मालगुजार लोग रहते थे, वे उसका उपयोग करते थे। उसे खेतो में ले जाते थे। अब ग्राम पंचायतें बन गई है, वहा पर कोई नही देखता है, कोई आदमी जिमेदार नही होता है और कोई परवाह नही करता है। इसलिए ऐसा पानी जो बड़ा कीमती माना जाता है, उस पानी की सही व्यवस्था करनी चाहिये।

जो जगलों से, पहाडो से पानी आता है बरसात में वह भी रासायनिक पानी होता है। उसका भी उपयोग करना चाहिये। जो छोटे छोटे नदी और नाले है, उन पर भी बाध बनवाए तो मैं समझता हू कि अगर इतना ही काम करें तो हजारो लाखो क्विटल अनाज पैदा हो सकता है। इन छोटी योजनाओ मे ही यह हो सकता है, बडी योजनाए तो होती रहेंगी।

इसलिये मेरी मत्रालय से प्रार्थना है कि इस ओर ख्याल करें। हालाकि यह स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्धित है लेकिन केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेट को मजबूर करे कि वह इस कार्य को करे।

इस साल 1974 में फर्टिलाइजर्स की कीमते प्रायः दुगुनी हो गई है। मन्त्री जी इस बात का ख्याल करें कि इसकी कितनी बिक्री हुई। कीमते दुगनी हो जाने से बिक्री बहुत कम हुई है। जब बिक्री कम हुई है तो फसल कम हुई और इस तरह से भुखमरी बढ़ गई। यह सब बातें हम आपके सामने रखते है।

फर्टिलाइजर के बारे में मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर बहुत अच्छी चीज है । लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो कुछ-कुछ हमने यह भी तजुर्बा पाया है कि जब धान की फसल में फर्टिलाइजर डालते हैं और उसमे उड़द, लखौरी, अलसी की फसल ब्राडकास्ट तरीके से बोते हैं तो फर्टिलाइजर ज्यादा डालने के कारण जमीन कड़ी हो जाती और जो ब्राडकास्ट फसलें हैं, वह टीक पकती नही हैं, फसल कम होती है । तो इस ओर भी अनुसंधान करने वालों को ख्याल करना चाहिये ।

फर्टिलाइजर की एक और भी खामी है । जिस समय फर्टिलाइजर डालते है तो फसल में जो दाना आना चाहिये वह बहुत मोटा हो जाता है । हमारे यहां चिन्नौर एक बढ़िया किस्म का धान होता है । दूसरे और भी बढ़िया किस्म के धान हैं । अगर फर्टिलाइजर को किन्नौर में या दूसरी फसलों मे डाले तो उसकी सुगन्ध खत्म हो जाती है और जो पतला दाना होता । वह मोटा हो आता है । इसलिये हम उसका उपयोग ज्यादा नही करते हैं ।

आज गोबर का खाद तो मिलता नहीं है । पानी बरसता नही है इसलिये चारा भी कम हो गया हे । यह सब समस्याएं सामने आती हैं । इस पर भी मंत्री महोदय को कुछ ध्यान देना चाहिये ।

हमारे यहां अनुसंधान का काम भी चालू हुआ है । पड़ती जमीन तो बहुत ज्यादा है । मेरा एक सुझाव यह है कि अगर सरकार जोत की तरफ ध्यान दे, हमारे यहां कई हजार एकड़ जमीन है, वह जोत में लगाने लायक है, अगर सरकार इसको जोत में लगावे तो जो लोगों के पास भूमि की कमी है वह सवाल भी हल हो जायेगा । पड़ती भूमि को जोत में लाना जरूरी है ।

हमने ग्राम सेवक को एक ईकाई माना है । ग्राम सेवक से हम उम्मीद करते हैं कि वह किसान लोगों को सिखाये । हर प्रकार के बीज, फर्टिलाइजर, जमीन की किस्म के बारे में बताये और खेती के जो नये तरीके हैं, उनके बारे में बतावे ।

इन्दौर और मालवा गेहूं क क्षेत्र हैं यहां गेहूं ज्यादा होता है । छत्तीसगढ़ में धान होना है । कहीं कहीं यह देखने में आया है कि जो इन्दौर या मालवा का रहने वाला ग्राम सेवक है उसको छत्तीसगढ़ में भेज दिया जाता है । उसको धान की उपज करने के बारे में, उसकी तैयारी करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है । ऐसा आदमी उस क्षेत्र के लिये बिल्कुल निरर्थक होता है । इस तरह से जो ग्राम सेवक भेजे जाते हैं इस पर भी ख्याल किया जाये कि जिस क्षेत्र का ग्राम सेवक रहने वाला हो उसको उसी के नजदीक भेजा जाये ताकि वह सब खेती की हालत खुद ही जानता है, और लोगों से हिल-मिलकर सब बाते कर करना है ।

15 hrs.

श्री कमला मिश्र "मधुकर" (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की ओर से यह दावा किया जाता है कि हमने खेती में बहुत तरक्की की है । लेकिन मैं समझता हूं कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को कृषि की पूर्ण नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि उस बे जो कुछ किया है, उस का परिणाम क्या हुआ है । सरकार की नीतियों और कार्यों का परिणाम यह हुआ है कि देश में कैपिटलिस्ट फार्मर पैदा हो गये हैं, जिनको खेती के काम में इन्ट्रेस्ट नहीं है । सरकार कहती है कि कृषि में उन्नति हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, फिर भी खेती की पैदावार में गिरावट हुई है । आज कृषि की पैदावार में विकास की गति अवरुद्ध हो गई है ।

(श्री कमला मिश्र "मधुकर")

हालांकि गेहूं की फसल अच्छी हुई है, लेकिन पिछले सालों में गेहूं की जो रिकार्ड फसल हुई थी, उतनी फसल नही होने जा रही है । इसका कारण यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खेती के मामले मे गैर-पूंजीवादी नीति को नही अपनाया है । जब तक वे इस नीति को नही अपनायेंगी, तब तक कृषि में उन्नति होने की कोई गुंजायश नहीं है ।

जहां तक भूमि-सुधारो का सवाल है, सरकार ने यह ऐलान किया कि 1974 का साल भूमि-सुधारों के साल के रूप मे माना जायेगा । लेकिन ठीक उस के उलट हुआ है। भूमि-चोरो ने भूमि चुरा ली है । भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनो पर अमल नही किया जा रहा है । बड़े बड़े जमीदार किसानों की हत्यायें करा रहे है । चम्पारन जिले मे ऐसे 15 गरीब किसानो की हत्यायें की गई हैं, जो भूमि की लडाई लड़ते हैं, जो हदबन्दी कानून, बटाई कानून और घरवासगित कानून को लागू करने की मांग करते हैं । मैं अभी अपने इलाके मे गया था । वहां एक किसान की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने अपने इलाके मे बटाई के सवाल पर जमींदारों के खिलाफ आन्दोलन किया था । तमाम जमीदारों ने साजिश करके उस की हत्या कर दी, लेकिन प्रशासन इस बारे में कुछ भी नही कर सका है ।

प्रश्न यह है कि क्या भूमि-सुधार कानून को अमल में लाया जायेगा या नही, और क्या प्रशासन की वर्तमान मशीनरी के द्वारा यह काम होगा या नही । केरल में भूमि-सुधार सही ढंग से लागू किये गये है । क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी उसी पैटर्न पर भूमि सुधार लागू करने की व्यवस्था करने जा रही है ? क्या यह केवल बकवास है, लोगों को ठगने का एक ढंग है कि हम भूमि-सुधार लागू करने जा रहे हैं और हम हदबन्दी करके फाज़िल जमीन को हरिजनों में बांटने जा रहे हैं, आदि ? ये बकवास की बातें बन गई हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर कड़ाई की जाये, और जो कानून पास हो चुके हैं, उन को लागू किया जाये, और यह साल भूमि-सुधार के साल के रूप में माना जाये ।

सरकार ने कृषि की तरक्की के लिए किसानों को जितनी भी सुविधायें दी हैं, केवल धनी किसानो, कैपिटलिस्ट फार्मर्ज, ने उनसे लाभ उठाया है । गांवो में जो छोटे और मंझौले किसान हैं, खाद, बीज, ऋण और सिचाई के सम्बन्ध मे उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । वे खेती की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त सुविधायें नही दी जाती हैं । इस लिए प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की जाये कि वे सब सुविधाये छोटे और मझौले किसानो को उपलब्ध हो सके ।

सरकार ने गेहूं का दाम 105 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया है । पूरे देश में यह माग हो रही है कि उसकी कीमत बढ़ा कर 125 रुपये की जाये एक तरफ तो किसानों को इनसेंटिव दिया जाये, और दूसरी तरफ खेत-मजदूर और इंडस्ट्रियल वर्कर्ज जैसे गरीब लोगों को सबसिडाइज्ड रेट पर राशन दिया जाये, जो खरीद कर अनाज खाते हैं ।

पूरे देश में यह आन्दोलन चल रहा है कि शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाये । शुगर को व्हाइट गोल्ड अर्थात् श्वेत स्वर्ण कहा गया है, लेकिन सरकार उसका नेशनलाइजेशन नही कर रही है । इसका नतीजा यह है कि चीनी की पैदावार में तरक्की नहीं हो रही है । मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बिना चीनी के उत्पादन में वृद्धि नही होगी ।

मेरे इलाके में गंडक प्राजेक्ट लागू है । उसके द्वारा जितनी सिंचाई की क्षमता उपलब्ध

हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पानी के अभाव की समस्या है, और वहां फील्ड चैनल्ज का निर्माण नहीं हो रहा है। गंडक योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, जबकि खर्च बढ़ रहा है। इस प्रकार गंडक योजना सरकारी पैसे को गलत ढंग में खर्च करने का माध्यम बन गई है। किसानों को उस से कोई लाभ नहीं हो रहा है।

चम्पारन की जमीन बहुत उर्वरक है। वहां एक एकड़ जमीन में बिना सिंचाई की व्यवस्था के सौ मन धान होता है। लेकिन वहां हर साल छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आने के कारण किसानों की काफी बर्बादी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि चम्पारन की सभी नदियों के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

फ्लड कंट्रोल पर जितना खर्च होता है, बाढ़ के कारण किसान को उससे कई गुना अधिक क्षति होती है। पूरे देश में बाढ़-नियंत्रण की योजनायें खटाई में पड़ी रहती है और कोई काम नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि चम्पारन में अधवारा समूह की नदियों में जो बाढ़ आती है, उसमें चम्पारन मुजफ्फरपुर, सारन, दरभंगा और सीतामढ़ी के इलाकों की रक्षा करने के लिए एक समग्र बाढ़-नियंत्रण योजना बनाई जाये, जिससे उन इलाकों की फर्टाइल जमीन का सही इस्तेमाल हो सके।

बिहार सरकार ने हाल ही में बिजली के रेट के बारे में एक नई नीति बनाई है, जिस का मतलब यह है कि जो किसान पंपिंग सेट और बोरिंग इस्तेमाल करते है उन को एक निश्चित रकम बिना बिजली इस्तेमाल किये हुए भी देनी पड़ती है। इससे किसानों में बड़ी खलबली मच गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय राज्य सरकार को इस नीति को बदलने के लिए लिखें, ताकि किसान जितनी बिजली इस्तेमाल करे, उससे उतना ही चार्ज लिया जाये, उससे अधिक नहीं।

खेती पर देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। इस समय सरकार खेती के सम्बन्ध में पूंजीवादी राह पर चल रही है। सरकार को उस मार्ग का परित्याग करके गैर-पूंजीवादी राह पर चल कर, ग्राम छोटे किसानों तथा भूमिहीनों को सहायता देकर, खेती की तरक्की की व्यवस्था करनी चाहिए। वह अमरीका की राह पर चल कर खेती में तरक्की नहीं कर सकती है। गैर-पूंजीवादी रास्ते पर चल कर ही खेती को तरक्की की जा सकती है।

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur): So far as agricultural development is concerned, one of the most important problems that confront the country is the sector of the hill areas The population inhabiting the hill areas is very backward Though so many years have elapsed after independence, no substantial improvement has taken place in their plight.

The Government of India had agreed to certain projects being taken up in Manipur and Uttar Pradesh for the development of agriculture One of them happens to be located in my constituency. Fortunately the Government of India has recenly decided to continue them. I would request the Ministry to do everything possible and provide enough money, so that these projects are pursued with greater success in the Fifth Plan

The hill areas of Manipur are in an advantageous position in the matter of taking up the development of agriculture If only the Government takes interest in their development I do not think there will be much difficulty, because, so far as irrigation and other facilities are concerned, the State has great potentiality. I would, therefore, request the Ministry here to look after the interests of the people there

Next, I would like to touch upon development of agriculture in the country as a whole. No doubt, agricultural development has been

[Shri Paokai Haokip]

tremendous over the years. We have given priority to the agricultural sector in our plans, and because of this we have been able to secure a tremendous success, but if we view it from a different angle, that is to say the income to the nation from the agricultural sector, we find that the performance is very poor. In 1960-61 the income was Rs. 6,500 crores and in 1972-73 it rose to Rs. 18,000 crores. What happened subsequently in that in 1972-73, this figure came down again. This had happened because the subject was dealt with by the State, that is to say, the measures suggested by he Centre to develop the national income from agriculture were not touched by them. What I mean to say is that considering the investment put into agriculture, irrigation and power, the return from these two projects is very poor. Because or this, there is an inflation and there is price rise. Therefore, I would say that it would have been better if the Central Government had included this subject in the Union List. But unfortunately, this happens to be in the State List. Therefore, whatever investment has to be made in this regard, when we consider the national income, as a whole, our agricultural development has not been able to contribute very much to it. Therefore, it should be high time for the Government to consider this aspect seriously and take some more measures in order to encourage the State to prepare themselves to realise more resources from the investment in this sector. Otherwise, we will not be able to make that much progress that we expect from the development of agriculture. So far as irrigation is concerned, very affluent agricultural farmers are benefitted from this, because they can invest more; their holding power is more. They are able to make use of the resources available. That is why. I would like to emphasise that the Government should seriously think of levying a special cess, so far as agriculture is concerned. Irrigation Projects, power generation and distribution must be made self sustaining and remunerative.

There are now six pilot projects in the country and they are confined to certain States like, Bihar, Andhra Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh. For the last so many years, these projects are confined to these States, whereas the object of the projects is to improve the tribal areas, in particular, and hill areas in general.

It is high time now to spread these probjects to other parts of the country also.

Therefore, I would request the Minister to consider this aspect also and take these projects to other parts of the country so that other States will also be benefitted from it.

श्री भगत राम मनहर (जंजगिर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिचाई और कृषि मंत्रालय की मागो पर बोलने का जो अवसर आप ने दिया उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं । कृषि मंत्रालय ने कुछ वर्षों में जो तरक्की की है उसके कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा । खाद की खपत 1950–51 में 1 लाख टन थी । वह बढ़ कर 73–74 में 32 लाख टन हो गई । ट्यूबवेल 1966 में 93,000 थे वह बढ़ कर 73–74 में 8 लाख 20 हजार हो गए। एलेक्ट्रिक पंम्पिग सेट्स 5 लाख से बढ़ कर 24 लाख हो गए । ट्रैक्टर्स 60–61 में 31 हजार थे ओ 73–74 में 2 लाख हो गए । हाई इल्डिंग वैराइटी के अन्तर्गत एरिया 1971–72 में 17.94 मिलियन हैक्टर था वह 1973–74 में 25 मिलियन हैक्टर हो गया । 46 स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं इस समय और 41 मार्जिनल और ऐग्रिकल्चरल लेबरर्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे 12 लाख काश्तकारों को फायदा हो रहा है । ये ऐसी योजनाएं हैं जिन से आम जनता के करीब कृषि विभाग पहुंच सका है । इसके लिए मैं कृषि विभाग के अधिकारियों और मंत्रालय को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा ।

इस के साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे देश में सूखे की स्थिति है उस का मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हू वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओ का अव्यावहारिक होना है। खास कर के सिचाई के मामले में सिंचाई मंत्रालय ने और योजना मंत्रालय ने उस को प्राथमिकता न दे कर बहुत भारी भूल की है। हम चिल्लाते है कि बहुत सी बडी बडी सिंचाई योजनाए झगडे मे पडी हैं, उन के ऊपर अन्तर-प्रान्तीय झगडे है जो हल नही हो पाए हैं जिस से उन को नही पूरा किया जा सका। लेकिन जो छोटी छोटी निर्विवाद योजनाए है जो बहुत ही सहूलियतो से पूरी हो सकती है उनके ऊपर सिंचाई मंत्रालय ने ध्यान देने का कष्ट नही किया है। खास कर के अपने क्षेत्र की मैं दो चार योजनाओ के बारे मे चर्चा करना चाहूंगा। एक हस्दो बागो बाध है जिस मे 80 करोड रुपये खर्च होंगे। उससे साढे सात लाख एकड की सिंचाई होगी। साढे सात लाख टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन होगा, साढे दस करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, 150 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कोरबा औद्योगिक सस्थान को जल प्रदाय होगा। इस प्रोजैक्ट के ऊपर केन्द्रीय सरकार विशेष तवज्जह न देकर कुछ अच्छा नही कर रही है। इस योजना के बारे मे अगर केन्द्रीय शासन से कहा जाय तो कहते है कि प्रदेश सरकार के पास लंबित है और प्रदेश शासन से कहते है तो कहा जाता है कि हमने केन्द्रीय शासन को भेजा है। इस तरह से यह योजना अधर मे लटक रही है। इसी तरह से और भी छोटी छोटी योजनाए हैं। मागर हाफ योजना है उससे 1 लाख एकड भूमि सिंचित होगी, 15 करोड का उस पर खर्च है। अरपा योजना है उस से 2.2 लाख एकड़ की सिंचाई होगी, 25 करोड़ का खर्च है। लीलागर योजना से 1 लाख एकड भूमि सिंचित होगी, 5 करोड़ का खर्च है। बोराई योजना से 50 हजार एकड़ की सिचाई होगी, 3 करोड़ का खर्च है। मान्द से 1 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, 6 करोड़ का खर्च होगा। केलो योजना से 1 लाख एकड़ की सिचाई होगी 5 करोड का खर्च होगा। इस तरह से जो सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाए है इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन वह नही मिल पाई है। मै कृषि मंत्रालय से निवेदन करूगा कि इन छोटी-छोटी योजनाओ पर वह विशेष ध्यान दे जिस से इस क्षेत्र के सूखे की स्थिति का स्थायी हल हो सके। हम कृषि पैदावार की बात तो बहुत करते है लेकिन जिस तरीके से विभाग का पुनर्गठन करना चाहिए और जो छोटी-छोटी बाते हैं जिन पर हमें तवज्जह देनी चाहिए वह नही दे पा रहे हैं। लैण्ड सीलिंग आप ने कम्पल्सरी कर दी। उस के साथ-साथ चकबन्दी को भी जब तक कम्पल्सरी नही करेंगे तब तक पैदावार नहीं बढ पाएगी। छोटे-छोटे किसान सब समझते हैं कि हम को किस तरह से खेती करनी चाहिए। इन्टेंसिव कल्टीवेशन करना चाहते है। लेकिन इस लिए नही कर सकते कि उन की जमीन छोटे-छोटे टुकड़ो में बटी हुई है। कुआ खोदने के लिए भी एक चक जमीन नही है अभी आपने सिचाई कुआ हेतु डेढ एकड से तीन एकड के चक का फैसला किया है, एक चक जमीन न होने से उस मे भी न कुआ खुद सकता है और न सिचाई हो सकती है। इस के लिये आप को कम्पल्सरी रूप से चकबन्दी करनी पडेगी, तभी हम पैदावार बढाने मे समर्थ हो सकेंगे।

हमारा एग्रीकल्चर विभाग, एक टैक्नीकल डिपार्टमेंट कहलाता है, लेकिन बोलचाल मे ही है, आफिशियली इस को अभी तक टैक्नीकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर नही किया गया है। मै मन्त्री महोदय से अनुरोध करूगा कि वे इस विभाग को शीघ्र टैक्नीकल विभाग घोषित कराये।

आज कृषि विभाग मे जितने अधिकारी होते हैं, हैड-आफ-दि डिपार्टमेंट, वे प्रायः आइ० ए० एस० अफसर होते हैं, टैक्नीकल

[श्री भगत राम मनहर]

बातों का उन को ज्ञान नहीं होता है और इस वजह से वे बात बात में अड़ंगा लगाते है। कोई भी टैक्नीकल आदमी कितनी ही अच्छी स्कीम प्रस्तुत करे, उस को अधिकारियों द्वारा नाट फिजिबल कह दिया जाता है जिस का विपरीत असर पड़ता है। इस तरफ हमारे कृषि मंत्रालय का विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज आवागमन की सुविधाएं भीतर के क्षेत्र में न होने से खाद बीज, दवाइयां जैसी चीजें समय पर नहीं पहुंच पाती है। जब तक आवागमन को सुधारने का काम हमारी योजनाओं में शामिल नहीं किया जायगा, तब तक इंटीरियर के क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकते। हमारे यहां माचिस, जो दिल्ली में 15 पैसे की मिलती है, वहां 25 पैसे की मिलती है। दवाइयां नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है और वहां जो पैदावार होता है वह ठीक समय पर मार्केट में नहीं पहुंच पाती है। इन सब चीजों की तरफ मन्त्रालय का ध्यान जाना चाहिये।

आप ने लेवी वसूल की जो नीति बनाई है, वह बहुत अच्छी है। लेकिन उसका जो पालन हो रहा है वह बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, अधिकारीगण उस का ठीक से पालन नहीं करते हैं। जो उन की मर्जी में आता है, जिस तरह से चाहते हैं रूल्ज को इंटरप्रेट करते हैं। जिसकी वजह से किसानों के अन्दर बहुत असन्तोष व्याप्त है। इस का एक मुख्य कारण यह भी है कि उन के धान की जो कीमत मिलती है, वह अव्यवहारिक है। इस पर व्यावहारिक ढंग से आप को सोचना पड़ेगा, तभी पैदावार बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। आज अधिकारी किसानों के घरों में घुस जाते हैं, लेवी अधिग्रहण के नाम से वसूली करने लगते हैं। इसी वजह से किसानों का ध्यान धान और दूसरी फसलों की पैदावार की तरफ से हटता जा रहा है और यदि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो, एक दिन किसान केवल अपने खाने भर के लिए धान गेहूं पैदा करेगा और इन फसलों के बजाय जो दूसरी फसलें उसको अच्छी लगेगी उन को पैदा करेगा।

मध्य प्रदेश में 1956 में एक हजार हैक्टेयर में आलू की फसल होती थी, लेकिन अब 1974-75 में 20 हजार हैक्टेयर में आलू की फसल हुई है। वहां पर प्रतिवर्ष 2 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता है लेकिन वहां पर आलू के लिए कोई भी प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है---वहां पर तीन-चार फार्म्स ऐसे है जैसे---खोकसा बिलासपुर में, खमरिया, जबलपुर में, इनके अलावा और फार्म्ज भी हैं, उनको आप आलू का प्रजनन प्रक्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वहां बीज या आलू को रखने के लिये शीतगृह की व्यवस्था भी नहीं है। यदि सरकार शीत-गृह के लिये अनुदान देने की व्यवस्था करे तो इन वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश में चम्बल बीहड़ को समतल करने की एक योजना वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजी थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बड़े दुख की बात है। यह इतनी बड़ी योजना है जिस से हजारों एकड़ जमीन समतल हो सकती है और साथ ही डाकू उन्मूलन का काम भी हो सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को इतने दिनों तक दबाये रखना ठीक नहीं है, उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और सिंचाई विभाग देश के बहुत से आवश्यक और उपयोगी विभागों में से एक है, जिस का जनजीवन से गहरा सम्बन्ध है। मैं इस की मांगों का समर्थन करता हूं और इस समय कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं।

कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में यहां पर सभी सदस्यों ने, इधर से भी और उधर से भी, कहा है कि बहुत कम निर्धारित हुए हैं, गेहूं

का मूल्य कम से कम 125 रुपये होना चाहिये। सरकार जो बोनस देना चाहती है, वह व्यावहारिक नहीं है। बोनस बनाने में और फिर किसानों को दिलाने में बहुत परेशानी होती है, किसानों को उस के मिलने की आशा भी नहीं है। बोनस की योजना जहां जहां जारी की गई उस में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। इस लिये बोनस के बजाय कृषि का मूल्य बढ़ा दिया जाय, जिस से किसानों का पैदावार करना में उत्साह बढ़ेगा।

किसानों को जो सहायता दी जाती है—चाहे वे खाद के लिये हो या ट्यूब वैल के लिये हो या अन्य किसी मशीनरी के लिये हो, इस सहायता के अन्तर्गत अनेक राज्यों मे चैक फर्मों या दुकानदारों के नाम से काटे जाते हैं। इस योजना का सीधा सम्बन्ध विद्युत मंत्रालय से है, लेकिन यदि कृषि मंत्रालय प्रयत्न करे तो यह सहायता सीधे किसानों को दी जाय। किसानों को इस समय काफी कठिनाई होती है। निश्चित फर्म से सामान लेना पड़ता है जो मंहगा भी मिलता है और साथ ही उस में करप्शन भी होती है, मशीनरी भी खराब मिलती है। बैंकों से सीधा चैक यदि किसानों को दिया जाय तो वे अपनी मर्जी से मार्केट में सामान ले सकते हैं और इस से उन को आसानी भी होगी।

आजादी के बाद देश में जितना कार्य कृषि संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कृषि फार्मों में हुआ है, उस का लाभ पूरे तौर से किसानों को नहीं मिला है। हमारे कृषि विशेषज्ञों का सम्बन्ध सीधा गांवों से जोड़ा जाय और हर संस्था के साथ कुछ गांव लगा दिये जायें। ऐसा परीक्षण उत्तर प्रदेश में किया गया जो बहुत उपयोगी साबित हुआ। वहां के विभागीय अफसर और कर्मचारी गांवों में जा कर अपने अनुभव की बातें सीधे ग्रामीणों को बतलाते हैं आज गांव वाले नई नई बातों को जानना चाहते हैं। हमारे यहां जितना शोध का काम हुआ है यदि यह गांव तक पहुंच जाय तो इस से बहुत लाभ हो सकता है लेकिन इस के लिये हमारे विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को इन्टरेस्ट लेना होगा।

हमारे शोध सम्बन्धी कार्य और कृषि सम्बन्धी योजनायें जो बनती हैं, वे अंग्रेजी में बनती हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं बनाई जाती। यदि इन को हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बना कर किसानों में बांटा जाय तो इन का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अभी तक हमारे किसान इन चीजों से महरूम रहते हैं और बांटने वाले उन को अपने तक ही सीमित रखते हैं।

भूमि अधिग्रहण का काम किसान के लिये मौत है। चाहे किसी योजना के लिये भूमि ली गई या बढ़ते हुए शहरों के लिये भूमि ली गई—किसान से जब भी भूमि ली गई उस को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है और बाद में उस को बहुत ज्यादा मुनाफे पर बेचा जाता है। दिल्ली और उस के पास तो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया गया—यह चीज किसानों के हक में नहीं जाती है। एक और तमाशा है—जो भूमि अधिग्रहण की गई, 15-20 सालों से बेकार पड़ी है, उस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आज जब देश के अन्दर अन्न संकट है तो जिन से वह जमीन अधिग्रहण की गई है उन को ही खेती के लिये दे दी जाय, जब तक कि उस पर काम नहीं होता है, इस से जमीन का उपयोग भी हो सकेगा और पैदावार भी बढ़ सकती है।

हमारे यहां बहुत सी कृषि उपज की वस्तुओं के मूल्य फसल आने पर गिर जाते हैं, लेकिन फसल के बाद प्रायः बढ़ जाते हैं, चाहे वे वस्तुयें गरीब मजदूर को खरीदनी पड़े या उपभोक्ताओं को खरीदनी पड़े, मंहगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। इस में सन्तुलन करने की आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may continue on Tuesday.

15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-FOURTH REPORT

SHRI RAM DHAN (Lalganj): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION *RE*: MEASURES TO REMOVE ECONOMIC AND SOCIAL INJUSTICES TO WOMEN—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We resume discussion of the Resolution moved by Shri Indrajit Gupta. He may continue his speech.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on the last occasion, I only had the time to read out the text of the Resolution, which I will not repeat now because it has been circulated to all Members.

15.31 hrs.

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

Since the occasion for this discussion has arisen primarily due to the fact that the General Assembly of the United Nations has adopted a Resolution calling for the observance of this year 1975 as the International Women's Year, I would like to begin with by pointing out the significance of this decision. I may say also that it is somewhat ironical that it has fallen to my lot as a representative of the much maligned tribe of bachelors to move this Resolution. I am afraid, the majority of my colleagues, who are married men, do not seem to be so eager or enthusiastic to come forward to take initiative in this matter. If this Resolution has to be implemented, it has to depend on the actions by married men and not by bachelors.

I wish to point out that the Resolution adopted at the 27th Session of the United Nations General Assembly on the 18th December, 1972, which called upon all members-States and people to observe 1975 as the International Women's Year contains the following very pertinent paragraph in its preamble I am not going to quote more than that, because there is no time:

'Considering that it is necessary to strengthen universal recognition of the principles of equality of men and women, *de jure* and *de facto*, and that both legal and special measures have to be taken by Member-States which have not yet done so to ensure the implementation of women's rights..."

I wish to point out that the United Nations has laid particular stress on the fact that by equality of men and women, they mean not only *de jure* equality, but also *de facto* equality, not equality which is simply on paper, but equality in actual practice and in effect. Secondly, this paragraph has called upon Member-States to take specific legal and social measures to ensure implementation of women's right, and this is the point on which I wish to develop my arguments.

I was looking through the proceedings of the Committee which was set up by the United Nations much earlier in 1967 to discuss the Draft Declaration on the Elimination of Discrimination